Justification of Land

मोटर मार्ग का नाम - सेमलखारी से गैर मोटर मार्ग (4.165 है०)

इस मोटर मार्ग का निर्माण होने से अस्थाई रोजगार उत्पन्न होगा ग्रामीण अपनी दैनिक जरूरतों का सामान आदि लेने नजदीक के बाजार में आजा सकेगे। इन मोटर मार्ग से पांच गांवों की लगभग 1500 जनसंख्या संयोजित हो रही है। ग्रामीण खेतो में पैदा होने वाली उपज को किसी भी नजदीकी बाजार में ले जाकर बेच सकेगे एवं इससे राज्य एवं देश की उत्पादकता में बढोत्तरी होगी जिससे ग्रामीणों की आय बढ़ेगी। इस मोटर मार्ग के निर्माण से उत्तराखण्ड के इस मार्ग में भी पर्यटन के अवसर पैदा होगे जिसमें स्थानीय निवासियों एवं राज्य सरकार की आमदनी होगी। इस गांव में यातायात की सुविधा न होने के कारण एवं सड़क न होने के कारण बच्चे स्कूल न जाकर खेती के कार्यो में लग जाते है, लेकिन मोटर मार्ग बनने से स्थानीय बच्चे स्कूल/कॉलेज पढ़ने के लिए अन्य स्थानों पर जा सकेगे। जिससे कि व राज्य एवं देश के निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। इस मोटर मार्ग के बनने से ग्रामीण को चिकित्सा सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। जिससे कि एक स्वसथ समाज का निर्माण होगा। मोटर मार्ग निर्माण से घर पर कार्य करने वाली गृहणीयां भी आवश्यक सामान बाजार से लाने में सक्षम होगी।

इस मोटर मार्ग के निर्माण से वन विभाग अक्सर आग लगने पर कम समय में आग पर काबू पा सकेगे। मोटर मार्ग के निर्ताण से वन विभाग भी अपने वन सम्पदायों की देख–रेख भी आसानी से कर सकेगा, तथा इस मोटर मार्ग निर्माण से पिछड़े गांव के लोगों को देश की मुख्यधारा में लाया जा सकेगा। मोटर मार्ग निर्माण में 4.1650 हे0 भूमि की आवश्यकता होगी।

उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मोटर मार्ग का निर्माण औचित्यपूर्ण है।

कनिष्ठ अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0,सिं0ख0 पुरोला उत्तरकाशी	सहायक अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0,सिं0ख0 पुरोला उत्तरकाशी	अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0,सिं0ख0 पुरोला उत्तरकाशी

वन क्षेत्राधिकारी मुगरसन्ती रेंज नौगाँव	उप प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट	प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट (उत्तरकाशी)